SI BE
Leadership, Education, Personality: An Interdisciplinary Journal ISSN: 2524-6178
www.sibe.rpress.co.in, Vol. 4, Issue 12 Dec 2009

राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विभिन्न आधार

डॉ. नीलम एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान

बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय, तोशाम

संक्षेप

भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान इसलिए किया था ताकि विघटनकारी शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई आपातकालीन स्थितियों का सामना किया जा सकें। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना असंवैधानिक नहीं है तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 356 ही राज्यों में राजनैतिक गतिरोध को दूर करने का एकमात्र साधन है। संविधान सभा में इसके प्रति जो आशंका व्यक्त की गई, वह निर्मूल नहीं थी। केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग हर बार संविधान निर्माताओं द्वारा बताए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया गया। अनेकों बार केन्द्र में सत्तारुढ़ दल ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु इस प्रावधान का आश्रय लेकर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। केन्द्रीय सरकार ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए उत्तरदायी कारण और परिस्थितियों के प्रति आधार स्वरूप एकरूप सिद्धान्त को नहीं अपनाया। केन्द्र में सत्तारुढ़ दल ने संविधान के अन्तर्गत इस अनुच्छेद की अस्पष्टता का अनुचित लाभ उठाया। 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' को उन आधारों पर उचित सिद्ध करने की कोशिश की गई जिनका आभास संविधान निर्माताओं को भी नहीं था। प्रस्तुत शोधपत्र में केन्द्र में सत्तारुढ़ दल द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के विभिन्न आधारों पर प्रकाश डाला गया है।

भूमिका

भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुरूप नहीं चलाया जा

सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत संघ को यह कर्त्तव्य सौंपा गया है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक अशांति से प्रत्येक राज्य को सुरक्षा प्रदान करे तथा प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार अनुच्छेद 355 के माध्यम से अपने दायित्व के निर्वहन के लिए संघ सरकार को राज्यों में 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस शक्ति के प्रयोग से राष्ट्रपति राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर सकता है तथा राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। इसे 'राज्यों में राष्ट्रपति शासन' के नाम से जाना जाता है।

संविधान निर्माता भारत की सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में संघीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत संघ की इकाइयों द्वारा सफलता पूर्वक कार्य-निष्पादन के प्रति आश्वस्त नहीं थे। संविधान निर्माताओं के मन में उपजी यह आशंका ही संविधान में अनुच्छेद 356 के पदार्पण की आधारशिला थी। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान का आधार सामाजिक न्याय एवं समतावाद का आदर्श है, यह सम्भव है कि कई राज्य इसके और संविधान की भावना के विरुद्ध जाने की चेष्टा कर सकते हैं। ऐसी चेष्टाओं को निर्मूल बनाने के लिए तथा संघात्मकता की रक्षा हेतु संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान किया गया। संविधान सभा के वाद-विवाद में 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' वाले वाक्यांश का अर्थ अस्पष्ट ही रहा। इस अस्पष्टता का लाभ उठाकर केन्द्रीय सरकार ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए उत्तरदायी कारण और परिस्थितियों के प्रति आधार स्वरूप एकरूप सिद्धान्त को नहीं अपनाया। ऐसी स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के विभिन्न कारण उत्तरदायी रहें हैं जो कि निम्नांकित हैं —

(1) जन-समर्थन का अभाव —

ऐसी परिस्थिति जिसमें जन निर्वाचित सत्तारुढ़ दल ने जनता का समर्थन खो दिया है। इस स्थिति का आकलन कई प्रकार से किया जा सकता है। मुख्यत: जब लोकसभा

चुनाव में राज्य का सत्तारुढ़ दल पराजित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई मानी जाती है, जैसे — 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की आशातीत सफलता के कारण कर्नाटक (1971), गुजरात (1971) तथा बिहार (1972) में जन समर्थन के अभाव में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसी तरह की स्थिति पुनः 1977 एवं 1980 के लोकसभा चुनावों में परिलक्षित हुई। 1977 में हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में सत्तारुढ़ कांग्रेस दल के प्रत्याशियों की पराजय के कारण केन्द्रीय सरकार (जनता पार्टी) ने इन राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके सत्तारुढ़ सरकारों को अपदस्थ कर दिया। इसी आधार पर 1980 में पंजाब, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात में सत्तारुढ़ गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करके केन्द्रीय सरकार (कांग्रेस) ने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रवृत करदिया।

इसके अतिरिक्त जब राज्य में शासक दल की नीतियों के प्रति जनता का विरोध आन्दोलन का रुप धारण कर ले, तब ऐसी स्थिति में भी यह माना जा सकता है कि सरकार जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस आधार पर केरल (1959), आन्ध्रप्रदेश (1973) और गुजरात (1974) में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(2) विधानसभा में समर्थन का अभाव —

1967 के विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में किसी भी राजनैतिक दल को सरकार के गठन के लिए वांछनीय स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरुप विधानसभाओं में संयुक्त सरकारों के गठन का दौर प्रारम्भ हुआ। लेकिन संयुक्त सरकारों के घटक दलों में सत्ता में भागीदारी के लिए उत्पन्न मतभेदों के कारण संयुक्त सरकारें अल्पमत में आने लगी तथा ऐसी स्थिति में जब इन सरकारों को विधानसभा में विधायकों का बहुमत प्राप्त नहीं था, परिणामस्वरुप आन्ध्रप्रदेश (1954), त्रावणकोर-कोचीन (1956), उड़ीसा (1961), पंजाब (1968), बिहार (1968, 1969), पश्चिम बंगाल (1968, 1970), असम (1981, 1982),

केरल (1970, 1981, 1982) उत्तरप्रदेश (1968, 1970, 1995), गोवा (1990, 1999) तथा मणिपुर (2001) में संयुक्त सरकारों के टूटने से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(3) विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल को समर्थन का अभाव —

इस स्थिति में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त दल सरकार के गठन के कुछ समय उपरान्त सत्तारुढ़ दल में विभाजन, गुटबन्दी अथवा दलबदल के कारण अल्पमत में आ जाता है। 1967 के विधानसभा चुनाव के उपरान्त कई राज्यों में दलबदल की घटनाएं बहुत तीव्रता से घटी। जिसके कारण विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त दल अल्पमत में आ गए। दलबदल के कारण हरियाणा (1967), राजस्थान (1967), कर्नाटक (1971), गुजरात (1971), पश्चिम बंगाल (1971), उड़ीसा (1973), मणिपुर (1973, 1977, 2000), नागालैण्ड(1975), त्रिपुरा (1977), सिक्किम (1979), केरल (1979), असम (1979) तथा मिजोरम (1988) में व्याप्त राजनैतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। दल में गुटबन्दी के कारण — केरल (1964), उड़ीसा (1976), मणिपुर (1981), सिक्किम (1984), तमिलनाडु (1988), हरियाणा (1991) तथा गुजरात (1996) में सत्तारुढ़ दल के अल्पमत में आ जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(4) दलीय हाई-कमान्ड के समर्थन का अभाव —

ऐसी स्थिति जिसमें जन-अधिदेश प्राप्त तथा विधानसभा में बहुमत प्राप्त सत्तारुढ़ दल अपने दलीय हाई-कमान्ड का विश्वास खो देता है, जैसे — पंजाब (1951), उड़ीसा (1961, 1976), बिहार (1972), उत्तरप्रदेश (1973, 1975), कर्नाटक (1977, 1990) तथा मणिपुर (2001) में इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(5) केन्द्रीय सरकार के समर्थन का अभाव—

ऐसी स्थिति जिसमें राज्य में सत्तारुढ़ राजनैतिक दल को जन-समर्थन, विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन तथा अपने दलीय हाई-कमान्ड का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन केन्द्र में सत्तारुढ़ भिन्न राजनैतिक दल की सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो ऐसे में केन्द्र में सत्तारुढ़ दल, राज्य की विपक्षी दल की सरकार को प्रशासकीय,

आर्थिक अथवा पूर्णतया राजनैतिक कारण से अपदस्थ कर देता है, जैसे — पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन (1953), केरल (1959, 1965), राजस्थान (1967), हरियाणा (1967, 1991), पश्चिम बंगाल (1968), बिहार (1968), उत्तरप्रदेश (1970), कर्नाटक (1971, 1989), गुजरात (1976), तमिलनाडु (1976, 1991), मिजोरम (1988), नागालैण्ड (1988, 1992) तथा मणिपुर (1992) में इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(6) स्पीकर के कारण उत्पन्न गतिरोध —

संविधान में विधानसभा की कार्यवाही को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए स्पीकर को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लेकिन उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कई बार दलगत भावना से या अन्य किसी कारण से करने के कारण विधानसभा की कार्यवाही के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जैसे — पश्चिम बंगाल (1968), उत्तरप्रदेश (1970), नागालैण्ड (1975) में इसी कारण से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। संविधान में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा दलबदल निरोधक कानून को सन्निहित किया गया है। जिसके अन्तर्गत दलबदल कानून के आधार पर विधायकों के दल से निष्कासन के निर्णय का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। जिसके आधार पर मिजोरम (1988), तमिलनाडु (1988), मेघालय (1991), मणिपुर (1992) तथा नागालैण्ड (1992) में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(7) कानून एवं व्यवस्था की स्थिति —

राज्यों में आतंकवादी अथवा राष्ट्र-विरोधी गुटों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण पंजाब (1983, 1987), मणिपुर (1979, 1993) जम्मू एवं कश्मीर (1986, 1990), असम (1990), त्रिपुरा (1993) तथा बिहार (1995) में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

(8) संविधान के मौलिक ढ़ांचे की रक्षा के लिए —

संविधान में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को अपनाया गया है। राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने से संविधान के धर्म-निरपेक्ष

स्वरुप को क्षति पहुँचती है। उत्तरप्रदेश (1992), हिमाचल प्रदेश (1992), मध्यप्रदेश (1992) तथा राजस्थान (1992) में इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करके संविधान के मौलिक ढ़ांचे की रक्षा की गई।

(9) राजनैतिक अथवा प्रशासकीय रिक्तता से उत्पन्न स्थिति —

नए राज्यों के उद्भ व के कारण केरल (1956), पंजाब (1966), मणिपुर (1972) तथा त्रिपुरा (1972) में नई विधानसभाओं के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनैतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने के कारण राज्यपालों द्वारा, विधानसभा में सबसे बड़े राजनैतिक दल को सरकार के गठन के लिए आमन्त्रित न करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति की गई, जैसे — केरल (1965), उड़ीसा (1971) तथा उत्तरप्रदेश (1996, 2002) में इसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन राजनैतिक व्यवस्था को अविरल एवं निर्बाध गति प्रदान करता है। यह सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से सम्भव बनाता है।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वर्ष 1951 से 2002 तक 102 प्रकरणों में से 44 प्रकरणों में राष्ट्रपति शासन द्वारा सत्ता हस्तांतरण एक दल से दूसरे दल में सम्भव हुआ। 23 प्रकरणों में सत्ता हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह में हुआ। 12 प्रकरणों में राष्ट्रपति शासन द्वारा सत्ता लाभ उसी दल को ही हुआ, केवल नेतृत्व परिवर्तन हुआ।

14 प्रकरणों में राष्ट्रपति शासन से पूर्व जो दल एवं नेतृत्व सत्ता में था, राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी वही दल एवं नेतृत्व सत्ता में रहा।

राष्ट्रपति शासन द्वारा जिन 44 प्रकरणों में सत्ता हस्तांतरण एक दल से दूसरे दल में सम्भव हुआ, उसमें से 30 प्रकरणों में सत्ता हस्तांतरण से केन्द्रीय सरकार को लाभ प्राप्त हुआ। पेप्सु (1953), आंध्रप्रदेश (1954), उड़ीसा (1961,1980), हरियाणा (1967,1991), उत्तरप्रदेश (1968, 1980), बिहार (1968, 1969, 1972, 1980), पंजाब (1971, 1980, 1987), पश्चिम बंगाल (1971), कर्नाटक (1971, 1989), गुजरात (1971, 1976, 1980), असम (1979),

मध्यप्रदेश (1980, 1992), राजस्थान (1980), महाराष्ट्र (1980), मिजोरम (1988), नागालैण्ड (1992), हिमाचल प्रदेश (1992) तथा मणिपुर (1993) में राष्ट्रपति शासन के पश्चात कांग्रेस दल की सरकार का गठन हुआ। 05 प्रकरणों में केन्द्र की कांग्रेस सरकार को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। त्रावणकोर-कोचीन (1956), केरल (1964), पंजाब (1983), सिक्किम (1984) तथा त्रिपुरा (1993) में गैर-कांग्रेसी दल की सरकारों का गठन हुआ। शेष 09 प्रकरणों में केन्द्र की जनता पार्टी सरकार को लाभ प्राप्त हुआ। हरियाणा (1977), उत्तरप्रदेश (1977), पंजाब (1977), हिमाचल प्रदेश (1977), उड़ीसा (1977), मध्यप्रदेश (1977), राजस्थान (1977), बिहार (1977) तथा मणिपुर (1977) में राष्ट्रपति शासन के पश्चात जनता पार्टी द्वारा सरकार का गठन किया गया।

राष्ट्रपति शासन द्वारा 23 प्रकरणों में सत्ता हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह में हुआ। जिसमें केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। केरल (1959, 1979, 1981), पश्चिम बंगाल (1968, 1970, 1977), पंजाब (1968), उत्तरप्रदेश (1970, 1992, 1995), उड़ीसा (1971), तमिलनाडु (1976, 1988, 1991), त्रिपुरा (1977), सिक्किम (1979), मणिपुर (1979, 1992, 2001), असम (1990), गोवा (1990), मेघालय (1991) तथा गुजरात (1996) में क्षेत्रीय दलों द्वारा अथवा संयुक्त दलों द्वारा सरकारों का गठन किया गया।

राष्ट्रपति शासन द्वारा 12 प्रकरणों में सत्ता हस्तांतरण उसी दल में हुआ केवल नेतृत्व परिवर्तित हुआ। पंजाब (1951, 1966), कर्नाटक (1971, 1990), गुजरात (1971), आन्ध्रप्रदेश (1973), उत्तरप्रदेश (1973, 1975), उड़ीसा (1976), असम (1981, 1982) तथा नागालैण्ड (1988)। इन सभी राज्यों में वस्तुतः नेतृत्व की समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इन सभी राज्यों में कांग्रेस दल की सरकार थी तथा राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन किया गया।

14 प्रकरणों में राष्ट्रपति शासन से पहले जो दल एवं नेतृत्व सत्ता में था राष्ट्रपति शासन के बाद भी वही दल एवं नेतृत्व सत्ता में रहा। राजस्थान (1967, 1992), केरल

(1970, 1982), उड़ीसा (1973), मणिपुर (1973, 1981), कर्नाटक (1977), तमिलनाडु (1980), जम्मू एवं कश्मीर (1986, 1990), बिहार (1995, 1999) तथा गोवा (1999)।

निष्कर्ष

संविधान निर्माताओं द्वारा संवैधानिक संकट के समाधान के लिए अनुच्छेद 356 के रूप में सुरक्षा-कवच की व्यवस्था की गई थी परन्तु संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं के विपरीत केन्द्रीय सरकार द्वारा, कई बार, राज्यों की जन-निर्वाचित सरकारों को अपदस्थ करने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजनैतिक अस्त्र के रूप में किया गया। संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में राजनीति के प्रयोग की अपरिहार्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 के संवैधानिक और राजनैतिक प्रयोग को पूर्णतया पृथक् नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 एक राजनैतिक अस्त्र है जो शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सत्ता हस्तांतरण को सम्भव बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण तभी है जब इसे उचित प्रतिबन्धों सहित क्रियान्वित किया जाए। ये प्रतिबन्ध राजनैतिक सिद्धान्तों और परम्पराओं द्वारा सुनिश्चित किए जा सकते है। जो कि किसी भी संवैधानिक और राजनैतिक व्यवस्था के उचित क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं सरकार की भूमिका, राष्ट्रपति का संविधान कि रक्षा के प्रति उत्तरदायित्व एवं लोकतन्त्र की रक्षा के लिए अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए ऐसे मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए जो कि इसके दुरुपयोग एवं इसकी निरर्थकता को कम कर सकें ताकि उचित परिस्थितियों में इसका उचित प्रयोग संभव हो सके। केन्द्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति के लिए इस सलाहकार समिति से विचार-विमर्श करना बाध्यकारी होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सर्वसम्मति की एक स्वस्थ परम्परा का जन्म होगा। इसके अतिरिक्त सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों को एवं बोम्मई प्रकरण में न्यायालय द्वारा वर्णित सुरक्षात्मक उपायों को संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

भारत का संविधान (1 जून 1996 को यथा विद्यमान), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, नई दिल्ली, 1996.

कमीशन ऑन सेन्टर-स्टेट् रिलेशनस् (सरकारिया आयोग),गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, नासिक, 1988.

प्रेजीडेन्टस् रुल इन् द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरिज़, लोकसभा सेक्रेटेरिअट्, गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया प्रेस, न्यू दिल्ली, 1996

देशटा, सुनील, **प्रेजीडेन्ट्स् रुल इन् द स्टेट्स : कान्स्टिट्यूश नल प्रॉविज़नस् एंड प्रेक्टिस**, दीप एंड दीप पब्लिकेशनस्, न्यू दिल्ली, 1993.

धवन, राजीव, **प्रेजीडेन्टस् रुल इन् स्टेट्स**, एन. एस. त्रिपाठी, बाम्बे, 1979.

बसु दुर्गादास, **भारत का संविधान-एक परिचय**, (सातवां संस्करण) प्रेंटिस हाल इण्डिया, नई दिल्ली,1998.

सिवाच, जे. आर. **पॉलिटिक्स ऑफ़ प्रेजीडेन्ट्स रुल इन इण्डिया**, इण्डियन इन्स्टीट्यूट् ऑफ़ एडवांस स्टडी, शिमला, 1979.

इण्डिया टुडे (न्यू दिल्ली)

इकॉनामिक एंड पॉलिटिक़ल वीकली (बाम्बे)

डेटा इण्डिया (न्यू दिल्ली)

लिंक (न्यू दिल्ली)

मेनस्ट्रीम (न्यू दिल्ली)

प्रतियोगिता दर्पण (आगरा)

पॉलिटिक्स इण्डिया (न्यू दिल्ली)

फ्रन्ट लाइन (मद्रास)

टेलीग्राफ (कलकत्ता)

द स्टेट्समैन (न्यू दिल्ली)

द हिन्दु (मद्रास, दिल्ली)

द हिन्दुस्तान टाइम्स(न्यू दिल्ली)

नेशनल हैराल्ड (न्यू दिल्ली, लखनऊ)

नादर्न इण्डिया पत्रिका (इलाहाबाद)

पैट्रिअट् (न्यू दिल्ली)

सर्चलाइट (पटना)

संडे स्टैन्डर्ड (न्यू दिल्ली)

हितवाद (नागपुर)